

जिला



गजट

सत्यमेव जयते

झारखण्ड सरकार  
द्वारा प्रकाशित

पाक्षिक संख्या : 29

रामगढ़ दिन : मंगलवार  
दिनांक 04.08.2015

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी

प्रारम्भिक अधिसूचना

विषय सूची  
प्रारम्भिक अधिसूचना

पृष्ठ संख्या 01 से 02

प्रपत्र VI 'क'

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 431/भू0अ0, रामगढ़,

दिनांक 06.07.2015

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम बेयांग, थाना रामगढ़, थाना सं0 167, अंचल रामगढ़, जिला रामगढ़ में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा गोला चारु पथ के कि0मी0 8.10 में सेनेगढ़ा नाला पर उच्च स्तरीय पूल निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम बेयांग, थाना रामगढ़, थाना सं0 167, अंचल रामगढ़, जिला रामगढ़ में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.17 एकड़ यानि 0.0688 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	117	1460 अंश	रैयती	कृषि	0.09	रघुनन्दन तेली व0 मोहन तेली व0 काशी तेली व0 बाबु तेली पिता काली तेली, चरण भगत व0 दुर्गा भगत पिता बीकु भगत	सड़क	1460 अंश	1469	1459
2	117	1459 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.03		सड़क	1459 अंश	1460	1456 1438
3	117	1456 अंश	रैयती	कृषि	0.02		1438	1456 अंश	1459	1438
4	117	1438 अंश	रैयती	कृषि	0.03		सड़क	1438 अंश	1456 1459	1456
कुल रकवा					0.17					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं

यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ और संबंधित राजस्व कर्मचारी गोला अंचल को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

कारखाने के अधिकारी

₹0/-	₹0/-	₹0/-
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़।	अपर समाहर्ता, रामगढ़।	उपायुक्त, रामगढ़।

प्रतिलिपि संख्या : 28

रामगढ़ दिनांक 04.08.2012

समाहर्ता द्वारा विक्रय हेतु भू-अर्जन संबंधी

प्रारंभिक अधिसूचना

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

रामगढ़ दिनांक 04.08.2012